कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल

क्र 855 / प्र.अ. / मां नि. / स्टेनो / 9, भोपाल, दिनांक 25.01.99

प्रति,

1. मुख्य अभियंता,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
————परिक्षेत्र————

2. अधीक्षण यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
————मण्डल————

3. कार्यपालन यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
————खण्ड————

विषय :— काली मिट्टी अथवा अन्य फाउण्डेशन से संबंधित खराब मिट्टी हेतु हैण्डपंप के प्लेटफार्म निर्माण संबंधी पुनरीक्षित ड्राइंग / डिजाईन आदि।

जैसा कि आपको ज्ञात ही है कि इंडिया मार्क—2 हैण्ड पंप की स्थापना तथा उसके उनुकूल प्लेटफार्म निर्माण के संबंध में यूनीसेफ द्वारा प्रचारित मेनुअल अनुसार तत्संबंधी कार्य कराये जाते हैं। इसका पुनः कड़ाई से पालन करने हेतु निर्देशित किया जाता है कि यूनीसेफ द्वारा प्रकाशित मेनुअल (जिसकी प्रति पूर्व में आप सभी को उपलब्ध कराई गई थी) के अनुसार ही हैण्ड पंप की स्थापना तथा प्लेटफार्म के निर्माण का कार्य कराया जाये।

1. काली मिट्टी अथवा अन्य खराब मिट्टी के संबंध में यह देखने में आया है कि उपरोक्त मेनुअल में दर्शाई प्रक्रिया अनुरूप कार्य कराये जाने के बाबजूद भी प्लेटफार्म क्षतिग्रस्त होते हैं इसका प्रमुख कारण आधार में स्थित काली मिट्टी (फाउण्डेशन की दृष्टि से खराब) ही होती है। अतएव यूनीसेफ द्वारा प्रकाशित मेनुअल में प्लेटफार्म से संबंधित ड्राइंग — डिजाइन में ऐसी खराब मिट्टी हेतु कुछ परिवर्तन किये गये हैं तत्संबंधी ड्राइंग / डिजाईन सह पत्र के रूप में आपको भेजी जा रहीं है तथा निर्देशित किया जाता है कि जहां फाउण्डेशन की दृष्टि से खराब सोयल (काली मिट्टी) हैं वहां संलग्न ड्राइंग / डिजाईन के अनुसार ही प्लेटफार्म का निर्माण कराया जाये।

1. यह निर्देश विभाग द्वारा दिये बनाये जा रहे हैं। नये प्लेटफार्मों के साथ—साथ टूटे—फूटे प्लेटफार्मों के स्थान पर जो नये प्लेटफार्म बनाये जाने हैं, उनके लिए भी लागू होगा।
2. इस प्रकार नये (संशोधित ड्राइंग अनुसार) बनाये गये प्लेटफार्मों की सतत निगरानी रखी जावे एवं भविष्य में अगर कोई परिवर्तन आवश्यक समझा जाये तो तत्संबंधी सुझाव / प्रस्ताव यथासमय अधोहस्ताक्षरकर्ता के अध्ययन में लाया जाये।
3. जो प्लेटफार्म नई ड्राइंग / डिजाइन अनुसार बनाये जाये उनके जल का परीक्षण भी कराया जाता रहे। विशेषकर जहां पुराने टूटे — फूटे प्लेटफार्म के स्थान पर नई ड्राइंग / डिजाइन अनुसार प्लेटफार्म बनाये गये हों इससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि पूर्व में जो प्लेटफार्म बनाये गये थे टूट—फूट के कारण अथवा फाउण्डेशन के कारण प्रदूषण स्त्रोत में पहुंचता रहा है वह किस हद तक नियंत्रण किया जा सकेगा इसका भी सतत निगरानी की जाती रहे।

4. इस पूरी प्रक्रिया की सतत निगरानी तथा अनुश्रवण की जिम्मेदारी मण्डल के अधीक्षण यंत्री की होगी वह इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु नोडल अधिकारी बनाये जाते हैं।

सहपत्र : उपरोक्तानुसार

प्रमुख अभियंता
लो.स्वा.यां.विभाग भोपाल

पृ.कृ. 855/ प्र.अ./ मॉनि./ स्टेनो / 99 भोपाल दिनांक 25.01.99
प्रतिलिपि

प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग भोपाल की ओर से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

प्रमुख अभियंता
लोक स्वा. यांत्रिकी विभाग, भोपाल